ालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–132/17 धारा–144 दं0प्र0सं0

रणविजय सहाय –बनाम– जलील मियां वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति
26/12/17	यह वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 28.08.2017 को दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत वाद आरम्भ करने के लिये प्रश्नगत भूमि के लिये उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:– मौजा–बरही (गया रोड), थाना–बरही, जिला–हजारीबाग।	

पुराना खाता	नया खाता सं0	पुराना प्लॉट सं0	वर्तमान प्लॉट सं0	रकबा	चौहदी
116	366	1740	2397	0.48 ए0	उ0–काशी गोप द0–नीज पू0–मोटा आरी प0–प्लॉट सं0–2392/2393
156	699	1738	2395	0.52 ए0	
			2395	0.46 ए0	
292	366	1740	2397	1.40 ए0	उ0–बंशी साव द0–नीज पू0–नाला प0–मोटा आरी
292	366	2477	2503	1.04 ए0	उ0–नीज द0–भातु साव पू0–मोटा आरी/नाला प0–मोटा आरी
			कुल रकबा	3.90 ए0	

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष की मॉ सुदामा देवी के नाम से खतियान में दर्ज है। परिवारिक बंटवारे जिसका निबंधन सं0–9211, दिनांक 29.09.1965 के द्वारा प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के हिस्से में आया और तभी से प्रथम पक्ष का इसपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और इस पर खेती का कार्य करते है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण दिनांक 31.07.2017 को हरवा–हथियार से लैस होकर प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने की नियत से जुताई का कार्य करने लगे और मना करने पर खून–खराबा पर उतारू हो गये।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में परिवारिक बंटवारा से संबंधित निबंधित पत्र सं0–9211, दिनांक 29.09.1965 की छायाप्रति तथा श्रीमती बनारसी देवी वगै0 के नाम से निर्गत वर्ष–2014–15 का लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0–699 खतियान में रणधीर प्रसाद व बासुदेव प्रसाद, पिता–रघुनन्दन प्रसाद एक अंश तथा रंजीत प्रसाद, पिता–विशुन सहाय एक अंश दर्ज है। अन्य प्रश्नगत खाता 366 खतियान में बनारसी देवी व सुदामा देवी के नाम से दर्ज है। परिवारिक बंटवारा नामा दिनांक 29.09.1965 डीड नं0–9211 से प्रश्नगत भूमि रंजीत प्रसाद के हिस्से में प्राप्त हुआ है। रंजीत प्रसाद ने विभिन्न निबंधित केवाला के माध्यम से उक्त संपति मो0 अब्दुल जलील, मो0 रजाक तथा चन्दर कुम्हार के नाम से

अलग–अलग विक्रय कर दिया है। उक्त मो0 जलील, मो0 रजाक तथा चन्दर कुम्हार ने कई अलग–अलग निबंधित केवाला के माध्यम से द्वितीय पक्ष के अन्य लोगों को विक्रय कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष के सभी लोग अपने–अपने हिस्से की जमीन पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया हैः–

1. प्रश्नगत भूमि से संबंधित अब्दुल जलील के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
5. प्रश्नगत भूमि से संबंधित चन्दर कुम्हार के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
6. प्रश्नगत भूमि से संबंधित अब्दुल जलील द्वारा विक्रय की गयी रूही प्रवीण के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
7. प्रश्नगत भूमि से संबंधित अब्दुल जलील द्वारा विक्रय की गयी रसीदा खातुन के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
8. प्रश्नगत भूमि से संबंधित अब्दुल जलील द्वारा विक्रय की गयी अजैबुन निशा के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
9. प्रश्नगत भूमि से संबंधित अब्दुल जलील द्वारा विक्रय की गयी राना निकहत के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
10. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक द्वारा विक्रय की गयी सायरा बानो के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
11. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक द्वारा विक्रय की गयी फातमा खातुन के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
12. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक द्वारा विक्रय की गयी नुरी कौसर के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
13. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक द्वारा विक्रय की गयी यासमीन फातमा के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
14. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक द्वारा विक्रय की गयी शब्बा प्रवीन के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
15. प्रश्नगत भूमि से संबंधित मो0 रजाक द्वारा विक्रय की गयी अफसाना खातुन के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
16. प्रश्नगत भूमि से संबंधित चन्दर कुम्हार द्वारा विक्रय की गयी अबीया देवी वगै0 के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।
17. प्रश्नगत भूमि से संबंधित चन्दर कुम्हार द्वारा विक्रय की गयी श्रीमती रीता देवी के नाम से निबंधित केवाला की छायाप्रति।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा, दाखिल कागजात एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष खतियानी रैयतों के बीच हुए परिवारिक बंटवारा जिसका निबंधन सं0–9211, दिनांक 29.09.1965 के आधार पर अपने–अपने हिस्से की भूमि होने तथा इसके आधार पर दखल कब्जा का दावा कर रहे है। उभय पक्षों के प्रश्नगत भूमि पर दावे का आधार निबंधित परिवारिक बंटवारा तो है, परन्तु प्रथम पक्ष जहाँ प्रश्नगत भूमि को प्रथम पक्ष की माँ सुदामा देवी के हिस्से में प्राप्त भूमि होने का दावा करते है, वहीं द्वितीय पक्ष इसी बंटवारे नामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि

संजीत प्रसाद के हिस्से के होने का दावा करते है। स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच बंटवारा नामा में प्राप्त भूमि के स्वत्व का विवाद है, जिसका निपटारा दं०प्र०सं०–144 अन्तर्गत संभव नहीं है।

उभय पक्षों को शांति बनाये रखने के निर्देश के साथ बिना किसी बाध्यकारी आदेश के वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपने स्वत्व के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा घोषित/प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय जाने के लिये स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।